



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 2 जुलाई, 1974

आषाढ़ 11, 1896 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1885/17-वि-1--24-74

लखनऊ, 2 जुलाई, 1974

### अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 26 जून, 1974 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1974

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1974]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 का अपेक्षित संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1974

संक्षिप्त नाम  
तथा प्रारम्भ

कहालायेगा।  
(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निश्चित करे।

2—संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 में, धारा 5-ए में उपधारा (2) में, शब्द "एक सप्ताह अथवा उसके किसी भाग के लिए" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक दो सप्ताह अथवा उसके भाग के लिए" रख दिये जायं, और शब्द "एक बटा वाहन" के स्थान पर शब्द "एक बटा छन्धीस" रख दिये जायं।

संयुक्त प्रान्त  
अधिनियम संख्या 5,  
1935 की धारा  
5-ए का संशोधन

No. 1885(2)/XVII-V-1-24-74

Dated Lucknow, July 2, 1974

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Gadi Karadham (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on June 26, 1974 :

**THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION  
(AMENDMENT) ACT, 1974**

[U. P. Act No. 14 of 1974]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the U. P. Motor Vehicles Taxation Act, 1935

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1974.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint.

Amendment of section 5-A of U. P. Act no. V of 1935.

2. In the United Provinces Motor Vehicles Taxation Act, 1935, in section 5-A in sub-section (2), for the words "a week or part thereof" the words "every two weeks or part thereof" shall be substituted, and for the words "one-fifty-twoeth" the words "one twenty-sixth" shall be substituted.

आज्ञा से,  
कैलाश नाथ गोयल,  
सचिव ।